R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड II ◆ अंक 6
दिसम्बर 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

वर्ष 2005 के दौरान महत्त्वपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियां

जनवरी

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे दोनों ही तरीके से, सीधे ही और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से पुरानी आस्तियों के वित्तपोषण के लिए उपयुक्त ऋण नीतियां बनायें।
- शहरी सहकारी बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता हटाने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले आवास ऋणों पर जोखिम भार को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। वैयक्तिक ऋणों और क्रेडिट कार्ड सहित उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया है।

फरवरी

- बैंकों द्वारा बासले II के कार्यान्वयन के लिए पूंजी पर्याप्तता पर प्रारूप विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये गये। बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ निरंतरता और अनुरूपता बनाये रखने के लिए 31 मार्च 2007 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत निदेशक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सूचित किया गया था।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और संचालन के बारे में न्यूनतम पूंजी की वांछनीयता, विविधीकृत स्वामित्व, शेयरों के अभिग्रहण और अंतरण की प्रक्रियाओं, निदेशक और महत्त्वपूर्ण शेयर धारकों के लिए *सही और समुचित मानदंड* सम्मिलित करते हुए, व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये।
- भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रोडमैप दो चरणों में नियत किया गया। पहले चरण (मार्च 2005 से मार्च 2009) में भारत में पहली बार उपस्थिति स्थापित करने के इच्छुक विदेशी बैंकों को या तो मौजूदा शाखा के माध्यम से अथवा एक तरीका अपनाने के मानदंड का अनुसरण करते हुए शत प्रतिशत पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी स्थापित करने का विकल्प देना होगा।
- जनता की जमाराशियां स्वीकार करने वाली/रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि उनके द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए पूरी सुरक्षा राशि (कवर) हर समय उपलब्ध हो।
- अपने ग्राहक को जानिये मानदंडों और धन-शोधन निवारण उपायों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये। उन्हें सूचित किया गया कि वे अपनी *अपने ग्राहक को जानिये* संबंधी नीतियां बनाते समय उनमें निम्नलिखित चार प्रमुख तत्त्वों को सम्मिलित करें, अर्थात् (i) ग्राहक स्वीकरण नीति (ii) ग्राहक पहचान क्रियाविधि (iii) लेनदेनों की निगरानी और (iv) जोखिम प्रबंधन
- शहरी सहकारी बैंकों और अनुसूचित/लाइसेंसीकृत राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा बीमा एजेंसी कारोबार करने के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम करके 50 करोड़ रुपये कर दी गयी।

मार्च

- रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड गठित किया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2005 से डेरिवेटिव्ज संविभाग में जोखिम निवेश पर न्यूनतम रूपरेखा प्रकट करें।
- शहरी सहकारी बैंकों को अपेक्षाओं के प्रावधानन के लिए निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड संशोधित किये गये।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां आउटसोर्स करते समय सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में जोखिम न्यूनतम हो।
- विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंक, निवासी पॉवर ऑफ एटर्नी धारक को सामान्य बैंकिंग के माध्यम से एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते की शेष राशि में से निधि भेजने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं।

अप्रैल

- मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के बारे में दिशानिर्देशों का व्यापक प्रारूप जारी किया गया।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास IV से VII तक की निधि में से 31 अक्तूबर 2003 को या उससे पहले संवितरित किये गये ऋण और जमा के मामले में ब्याज दरें, पुनर्संरचित की गईं।

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे ईसीएस/ईएफटी/एसईएफटी के अंतर्गत देर से जमा प्रविष्टि के लिए प्रतिपूर्ति हेतु स्वत: भुगतान करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे नियत समय के भीतर मजबूत सूचना जोखिम प्रबंध प्रणाली समेत कारोबार निरंतरता प्लान की व्यवस्था करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे सार्वजनिक सेवाओं के बारे में प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा के बारे में मौजूदा तदर्थ समितियों को ग्राहक सेवाओं के बारे में स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित करें।
- बैंकों को अपनी ग्रामीण शाखाओं को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, कुछ शर्तों पर अंतरित करने की खंड/सेवा क्षेत्र के भीतर अनुमति दी गयी।
- रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 29 अप्रैल 2005 से नियत रिवर्स रेपो दर में 25 आधार पाइन्ट की वृद्धि करके उसे 5.0 प्रतिशत किया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय रहा।
- दिनांक 16 अप्रैल 2005 से सभी अनुसूचित बैंक, जो एनडीएस के सदस्य हैं और वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंटों के रूप में कार्य कर रहे हैं, निर्गम पूरा होने की तारीख से दो दिन के भीतर वाणिज्यिक पत्र निर्गम करने के ब्योरे एनडीएस प्लेटफॉर्म पर दें।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि एकल उधारकर्ता तथा उधारकर्ताओं के समूह के मामलों में अग्रिमों पर विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं पूंजीगत निधियों के क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत तक कम करें। इस प्रयोजन के लिए पूंजीगत निधि और ऋण सीमा की परिभाषाएं आशोधित की गयीं। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जहां बकाया अथवा मंजूर ऋण सीमा संशोधित सीमा से अधिक होती है, वहां मंजूर सीमा को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि में, अर्थात् 31 मार्च 2007 तक संशोधित सीमाओं के भीतर लाया जाये।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि कमजोर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पुन:प्रचालन और पुनरूज्जीवन के लिए जहां भी आवश्यक हो, विलयन/समामेलन का विकल्प चुनें।
- निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच विलयन और समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये गये। इन दिशानिर्देशों में विलयन की प्रक्रिया, स्वैप अनुपातों का निर्धारण, प्रकटीकरण, विलयन की प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की खरीद/बिक्री के मानदंड और विलयन प्रक्रिया में बोर्ड का अन्तर्भाव शामिल किया गया है।
- बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 के तहत ग्राहक को उसके परिसर में सेवाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाने और उसे रिज़र्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा घोषित लाभों से सरकारी/परोपकारी प्रयोजनों के लिए किये गये दानों/अंशदानों पर उच्चतम सीमा घोषित की गयी।
- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूह ऋणों पर लगायी जाने वाली ब्याज दर ऋण की प्रति व्यक्ति मात्रा से संबद्ध की गयी।
- ऐसी वित्तीय संस्थाएं, जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं करतीं, परन्तु जिनके पास 500 करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति है, रिज़र्व बैंक के सीमित अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होगी।
- जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 15 दिन से कम करके 7 दिन कर दी गयी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत किसानों को फसल विपणन योजना के माध्यम से ऋणों पर सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी।

मई

- बैंकों को लाभांश घोषित करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने पर, जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात और अनर्जक आस्ति के न्यूनतम अनुपात समेत, लाभांश के भुगतान अनुपात की 40 प्रतिशत की सीमा की शर्त के अनुपालन के साथ, सामान्य अनुमति दी गयी।
- राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संदर्भित करने पर बीमा एजेन्सी का कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गयी।
- गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और सूचीबद्ध कंपनियां, जिनका अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास श्रेष्ठ प्रतिभूति (गिल्ट) खाता है, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन रेपो बाजार में सहभागिता के लिए पात्र समझा गया है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली 2005-08 पर विजन दस्तावेज़ जारी किया गया।

जून

- बैंकों को, कार्यनीतिक निवेश के रूप में, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली अथवा विदेश स्थित अन्य कंपनियों में, नई अथवा मौजूदा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार, बैंक की ऋण नीति में विधिवत् शामिल की गई, कंपनियों की ईक्विटी के अभिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता देने अनुमति दी गई।
- बैंकों को, मृतक जमाकर्ताओं के बारे में दावे निपटान के संबंध में सभी पूर्ववर्ती जारी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, i) जमा खाते में शेष जमाराशि तक पहुंच, ii) अपरिपक्व मीयादी जमा खाते को बंद करना, iii) मृतक जमाकर्ता के नाम में प्राप्त राशियों के बारे में कार्रवाई, iv) सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं तक पहुंच, और v) दावों के निपटान के लिए समय सीमा संबंधी घटकों को शामिल करते हुए अनुदेश जारी किए गए।
- बैंकों को (निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में) अपने पूर्णकालिक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को (अध्यक्ष-मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलावा) किसी अन्य कंपनी का निदेशक अथवा अंशकालिक कर्मचारी बनने के लिए अनुमति देने हेतु रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है।
- बैंकों को सूचित किया गया कि उनके पास वास्तविक संपत्ति में निवेश जोखिम के संबंध में, बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति होनी चाहिए, जिसमें निवेश जोखिम सीमाओं, ध्यान में रखी जानी वाली संपार्श्विक जमानत, रखी जाने वाली मार्जिन, मंजूर करने के अधिकार/स्तर की सीमा, वित्त पोषित किए जाने वाले क्षेत्र को शामिल किया जाये।
- ईएफटी, एसईएफटी और ईसीएस सुविधा के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये और उससे ऊपर के सभी इलेक्ट्रानिक लेनदेन के लिए प्रसंस्करण प्रभारों को 31 मार्च 2006 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए माफ कर दिया गया। यह माफ़ी 2 करोड़ रुपये से कम के लेनदेन के लिए मौजूदा माफ़ी के अतिरिक्त है।

जुलाई

- अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद के बारे में दिशानिर्देश, मूल्यांकन और मूल्यनिर्धारण पहलुओं और विवेकपूर्ण एवं प्रकटन मानदंड जारी किये गये।
- इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं देने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करने पर, रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।
- पूंजी बाजार और वाणिज्यिक वास्तविक संपत्ति एक्सपोजर के बारे में ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार बढ़ाकर 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत किया गया।

- शहरी सहकारी बैंक, जिनकी एक शाखा तथा बैंक जिनकी एक ही जिले में कई शाखाओं की जमाराशि 100 करोड़ रुपये है, को अनुमति दी गयी है कि वे 31 मार्च 2007 तक के लेखे में एनपीए का वर्गीकरण विद्यमान 90 दिवसीय मानदंड के बजाय 180 दिवसीय चूक मानदंड के आधार पर करें।
- मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंज/बाजार में किसी पण्य (स्वर्ण, चांदी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को छोड़कर) के संबंध में मूल्य जोखिम से बचाव (हेज) करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार वाणिज्य बैंकों को दिया गया।
- महाराष्ट्र में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये गये। तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि प्रभावित व्यक्तियों को 5000 रुपये तक का उपभोग ऋण बिना किसी संपार्श्विक जमानत के और 10000 रुपये का उपभोग ऋण शाखा प्रबंधक के विवेकानुसार, उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के अनुसार दिये जाएं।
- प्राधिकृत व्यापारियों को इसकी छूट दी गयी कि यदि वे लेनदेन की वास्तविकता से और विप्रेषणकर्ता की नेकनीयती से संतुष्ट हों तो 1,00,000 अमेरिकी डॉलर या उससे कम राशि के लिए आयात के सबूत को प्रस्तुत करने को न कहें।
- पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन, छोटे और मध्यम आकार के दोनों क्षेत्रों में तेल की खोज और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पाइपलाइनों के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी। हवाई परिवहन सेवा (घरेलू एयरलाइन्स) क्षेत्र में स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत अनिवासी भारतीयों को 100 प्रतिशत और अन्य को 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी।
- बैंकों द्वारा पहली जुलाई या उसके बाद उद्यम पूंजी में किया गया निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण और वह निवेश ऋण जो कि 30 जून 2005 तक किया जा चुका है, वह पहली अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

अगस्त

- महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर अविलंब सहायता देने के लिए ऐसे व्यक्ति शीघ्रता से खाता खोल सके, इसके लिए बैंकों को अनुदेश दिये गये कि वे न्यूनतम औपचारिकताओं का पालन करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि में शाखा विस्तार के लिए विस्तृत मध्यावधि कॉर्पोरेट प्लान बनाये। प्लान में सभी श्रेणियों की शाखाएं/कार्यालय, जो ग्राहक के संपर्क में आते हैं, विशेषीकृत शाखाओं, विस्तार काउंटर और एटीएम की संख्या आदि शामिल की जानी चाहिए। प्लान जिलावार आधार पर महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की संख्या देते हुए बनाया जाना चाहिए। शाखा विस्तार के लिए प्रस्ताव वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना अपनी वास्तविक अतिरिक्त निधि गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश करें।
- बैंकों के लिए, उन व्यक्तियों के खाते खोलने के लिए, जो अपने सभी खातों में कुल मिलाकर 50,000 रुपए से कम जमाराशि रखना चाहते हैं और जिनके सभी खातों में कुल जमा एक वर्ष में एक लाख रुपये (रु.1,00,000) से अधिक न होने का अनुमान हो, *अपने ग्राहक को जानिए* प्रक्रिया और सरल बनाई गई। बैंकों को सूचित किया गया कि वे दूसरे खाताधारक (कम से कम छह महीने से खाताधारक हो) जिसके बारे में *अपने ग्राहक को जानिए* की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया हो अथवा ग्राहक की पहचान और उसके पते के बारे में कोई अन्य साक्ष्य हो जिससे बैंक संतुष्ट हो, द्वारा परिचय देने पर खाता खोल सकते हैं।
- छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को ऋण बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार के वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इन क्षेत्रों के ऋण देने में सुधार लाने के लिए उपाय करने हैं।

सितम्बर

- लघु और मध्यम उद्यम के लिए 10 करोड़ रुपए से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए एकबारगी निपटान योजना के बारे में दिशनिर्देश जारी किए गए।
- स्वर्ण आयात करने के लिए जिन बैंकों को नामित किया गया था, जो आभूषण निर्यातक नहीं हैं, उन्हें, घरेलू आभूषण विनिर्माताओं को स्वर्ण (धातु) ऋण देने की अनुमति है।
- भारत में बैंकों की शाखाओं के लिए प्राधिकार देने की नीति को, शाखा प्राधिकरण नीति ढांचे के साथ उदारीकृत और तर्कसंगत किया गया, जो बैंकों की कंपनी जगत की मध्यावधि कार्यनीति और जनता के हितों के सामंजस्य में होगी। शाखाएँ खोलने के लिए आवेदन पर विचार करते समय बैंकों द्वारा आम व्यक्तियों को दी गई बैंकिंग की सुविधाओं के स्वरूप और विस्तार, विशेष रूप से बिना बैंक वाले क्षेत्र में, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण प्रवाह, उत्पादों का मूल्यनिर्धारण और वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए समग्र प्रयास, यथोचित नए उत्पादों को लागू करने और ऋण वितरण के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी प्रयोग बढ़ाने समेत, मुद्दों को वरीयता दी जाए।
- बैंको को सूचित किया गया कि वे ऋण पुनर्संरचना करने का तंत्र लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में इकाइयों के लिए लागू करे। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नियत किए गए पात्रता मानदंडों और खातों, अर्थसक्षमता मानदंडों, पुनर्संरचित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों, अतिरिक्त वित्त के बारे में कार्रवाई, आस्ति वर्गीकरण, बार-बार पुनर्संरचना करना, इत्यादि संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश बनाए गए।
- लाइसेंसशुदा और/अथवा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंको को, जोखिम में सहभागी हुए बिना, किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, पहले से ही जिनके पास क्रेडिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था है, के साथ समझौता व्यवस्था के रूप में संयुक्त रूप से कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर घरेलू क्रेडिट कार्ड का कारोबार करने की अनुमति दी गयी।

अक्तूबर

- रिज़र्व बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंध के बारे में संशोधित मार्गदर्शन संबंधी नोट जारी किए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए मार्गदर्शन नोट का इस्तेमाल करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे भूकंप से प्रभावित जम्मू और कश्मीर राज्य और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में उदारतापूर्वक राहत पैकेज दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों इत्यादि के मरम्मत/दुबारा निर्माण के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करें।
- बैंकों को अपने ग्राहकों को ईसीएस के माध्यम से उनके खाते में की गई जमा राशियों का ब्योरा उनकी पासबुक/उनके खाता विवरण में देना होगा। भेजने वाले का पता/प्रेषण विवरण के लिए अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, जैसे, ईएफटी, एसईएफटी, आरटीजीएस, इत्यादि, में भुगतान के लिए भी उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की रिवर्स रेपो दर और रेपो दरें 26 अक्तूबर 2005 से प्रभावी 25 आधार अंक बढ़ाकर क्रमश: 5.25 प्रतिशत और 6.25 प्रतिशत की गईं।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2004-05** **Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05**
30 दिसम्बर तथा 31 दिसम्बर 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि *अपने ग्राहक को जानिये* संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, पर लागू करें, जो जनता से उनकी ओर से जमाराशियां इकट्ठा करते हैं।
- जो शहरी सहकारी बैंक अपने तुलन पत्र में संचयित हानियां आगे ले जाते हैं, वे दान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को धोखाधडियों का वर्गीकरण, धोखाधडियों पर निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं संबंधी दृष्टिकोण पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।

नवम्बर

- रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तत्काल कार्यान्वयन किये जाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर मार्गदर्शी दिशानिर्देश जारी किये हैं। बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिये गये हैं कि क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए उनके पास एक सुप्रलेखित नीति और न्यायोचित व्यवहार-संहिता होनी चाहिए। उन्हें चाहिये कि वे अधिक से अधिक 30 नवम्बर 2005 तक इसकी विषयवस्तु का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिसमें अपनी वेबसाइटों के माध्यम से किया जाने वाला प्रचार भी शामिल है।
- कंपनी ऋण की पुनर्संरचना पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये। दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया ऋण (एक्सपोज़र) वाली इकाइयों को शामिल करने के लिए इस योजना की व्याप्ति बढ़ा दी गयी है।
- बैंकों की *मानक अग्रिमों* के लिए सामान्य प्रावधानीकरण आवश्यकता, कृषि संबंधी और लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रत्यक्ष अग्रिमों के अतिरिक्त, वर्तमान स्तर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे एक आधारभूत बैंकिंग वाला नो-फ्रिल खाता प्रारंभ करें, जिसमें न्यूनतम शेष राशि/प्रभार शून्य हों अथवा अत्यंत कम हो। ऐसे खातों में लेनदेन के स्वरूप और संख्या सीमित की जा सकती है, लेकिन यह बात ग्राहक को पारदर्शी तरीके से पहले ही बता देनी चाहिए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों से इतर पात्र व्यक्तियों/कंपनियों को रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश करने की अनुमति दी गयी।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश की सामान्य अनुमति दी गयी।
- दिनांक 21 नवम्बर 2005 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सक्रिय हो गया, जिसका हर दिन 12 बजे निपटान होता है।
- शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में विलयन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अधिग्राहक शहरी सहकारी बैंक को उपर्जित शहरी सहकारी बैंक से ग्रहण की गयी हानि के विलयन के वर्ष समेत पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिशोधन करने की अनुमति दी गयी।

दिसम्बर

- सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को सूचित किया गया कि धन-शोधन निवारण करने के लिए वे यथोचित नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करें। धन-शोधन निवारण के लिए बनाये जाने वाले इस तरह के उपायों में निम्नलिखित का समावेश होना जरूरी है (i) अपने ग्राहक को जानिये मानदंड (ii) अभिनिर्धारण, संदेहास्पद लेनदेनों पर कार्रवाई और प्रकटीकरण (iii) धन शोधन निवारण विषयक रिपोर्टिंग अधिकारी की नियुक्ति (iv) स्टाफ प्रशिक्षण (v) अभिलेखों का रखरखाव (vi) लेनदेनों की लेखा-परीक्षा

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

अपने सभी पाठकों के लिए

शुखी और समृद्ध

नव वर्ष की कामना करता है

- रिज़र्व बैंक ने बाहर से सहायता लेना (आउटसोर्सिंग) पर प्रारूप दिशानिर्देश घोषित किये ताकि प्रभावी निरीक्षण, यथोचित तत्परता और आउटसोर्सिंग गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए सुदृढ और अनुक्रियाशील जोखिम प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए बैंकों को निदेश और दिशानिर्देश दिये जा सकें।
- यदि सेवा प्रदाता भारत से बाहर स्थित हो या आउटसोर्सिंग द्वार बैंकिंग के संबंध में हो, तो उन्हें छोड़कर बाकी आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन जरूरी नहीं है।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से उनके द्वारा विभिन्न कंपनियों को किये जाने वाले दानों से संबद्ध अपनी स्वयं की नीति बनायें। लाभ करने वाले बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान पहले वर्ष के लिए प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत तक दान दे सकते हैं।
- पचास करोड़ रुपये और उससे अधिक की सावर्जनिक जमाराशियां/जमाराशियां वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को सूचित किया गया कि वे कंपनी की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त लेखा-परीक्षा फर्मों के भागीदारों का चक्रानुक्रम (रोटेशन) निर्धारित करें। लेखा-परीक्षा करने वाली सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार/भागिदारों की हर तीन वर्ष में बारी बदलनी चाहिए ताकि एक ही भागीदार लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए लेखा-परीक्षा न करे। तथापि, इस तरह चक्रानुक्रम में जिस भागीदार की बारी आयी है, वह तीन वर्ष के अंतराल के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की लेखा-परीक्षा करने के लिए पात्र होगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को मांग ड्राफ्ट/चेक के बिना लिखें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**